

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

वाद सं0 56/2023

प्रथम पक्ष - शिव प्रसाद सिंह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष - सागर सिंह बगैरह ।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
--	--	--

थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 15/2023 दिनांक 17/06/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) शिव प्रसाद सिंह, उम्र 60 वर्ष पिता स्व० अभिमन्यु सिंह (2) रामप्रताप सिंह उम्र 55 वर्ष पिता अभिमन्यु सिंह उम्र 55 वर्ष (3) वर्तमान सिंह उम्र 42 वर्ष पिता अभिमन्यु सिंह तीनों ग्राम बघिमा कुआटोली थाना पालकोट जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) सागर सिंह उम्र 70 वर्ष पिता महाबीर सिंह (2) तीजा देवी उम्र 40 वर्ष पिता सागर सिंह ग्राम बघिमा कुआटोली थाना पालकोट, जिला गुमला के बीच आपसी विवाद एवं तनाव हैं। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा शांति फैलाने की सम्भावना है।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-

उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है।

अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त है एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित ।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।